

न्यायालय— संजय चतुर्वेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर (म0प्र0)

:: आदेश ::

(द0प्र0स0 1973 की धारा -14 व 15 के अंतर्गत दाण्डिक कार्य विभाजन)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ग्वालियर जिले में पदस्थ मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य संबंध हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश प्रसारित किया जाता है, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के अनुमोदन के उपरांत दिनांक **03 जनवरी, 2012** से प्रभावी होगा ।

क्र0	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
1	संजय चतुर्वेदी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर	1. आरक्षी केन्द्र क हुजरात कोतवाली ख इंदरगंज ग मुरार घ यातायात 2. संपूर्ण तहसील ग्वालियर 3. संपूर्ण ग्वालियर जिला क्षेत्र	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख रेलवे आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना ग आरक्षी केन्द्र कोतवाली क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र क म0प्र0 आबकारी अधिनियम ख क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर के प्रकरण ग आवश्यक वस्तु अधि0 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर) घ सिनेमाटोग्राफ एक्ट ड ड्रग्स एण्ड कोस्मेटिक्स एक्ट च पौल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले छ एनीमल स्लाटर ज केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 झ माईन्स एण्ड मिनरल्स न ग्वालियर तहसील के दुकान एवं संस्थान अधि0 एवं नापतौल अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रकरण य छावनी अधिनियम र अन्य ऐसे सभी अधिनियमों के प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है क तेजाब फेंकने या जलने से उद्भूत दांडिक प्रकरण ख मानसिक स्वास्थ्य अधि0 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां ग संपूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों के एक्सपंज रिपोर्ट(इ.आर)
2	श्री डी पी एस गौड अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर	आरक्षी केन्द्र क माधौगंज	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र माधौगंज क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र इंदरगंज एवं मुरार द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
3	श्री राजेन्द्र चौरसिया अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट		क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना

4	कु0 निवेदिता मुदगल अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क हजीरा	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र हजीरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
5	श्री अजयकान्त पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क पड़ाव	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र पड़ाव क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र हजीरा थाना द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
6	श्री सुधीर कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क. जनकगंज	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र जनकगंज क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र पड़ाव द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
7	श्री राकेश कुमार जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क. कम्पू	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र कम्पू क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र जनकगंज द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
8	श्री अयाज खान विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र क जी.आर.पी.(बी.जी एवं एन.जी.) ख आर.पी.एफ ग्वालियर	क रेलवे संपत्ति(अवैधानिक आधिपत्य) अधि0 1966 एवं रेलवे एक्ट से संबंधित प्रकरण ख जी0आर0पी0 (बी0जी0 एवं एन0जी0) ग्वालियर तथा आर0पी0एफ0 ग्वालियर से उदभूत होने वाले अभियोगपत्र एवं उनसे संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां
9	श्री प्रशान्त कुमार सक्सैना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क थाटीपुर ख. संपूर्ण तहसील ग्वालियर	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र थाटीपुर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र कम्पू द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ. ग्वालियर तहसील में उदभूत होने वाले स्वापक औषधिक एवं प्रभावी पदार्थ अधिनियम के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 10-10-2001 में किया गया है। ङ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना क म.प्र. नगर निगम अधि0 से उदभूत आपराधिक प्रकरण ख खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि0 से संबंधित प्रकरण

10	श्री अनूप त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क महाराजपुरा ख वन विभाग	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र थाटीपुर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना ड वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण
11	श्रीमती कविता वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क गोला का मंदिर नोट – मेला अवधि में सी.जे.एम.न्यायालय में	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र गोला का मंदिर के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
12	श्री संजय अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क पनिहार	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र पनिहार क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र गोला का मंदिर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
13	श्री प्रदीप दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क झांसी रोड	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र झांसी रोड क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र पनिहार द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
14	श्री इरसाद अहमद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क बहोडापुर	क आरक्षी केन्द्र बहोडापुर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना ग आरक्षी केन्द्र झांसरोड द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना
15	श्री ओ.पी. रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क विश्वविद्यालय	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र बहोडापुर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स.के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
16	श्री ए० के० मंसूरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क ग्वालियर	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र ग्वालियर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स.के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण

17	कु0 पल्लवी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क बेंहट	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र बेंहट क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स.के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
18	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण ख संपूर्ण तहसील ग्वालियर	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र बेंहट द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना ग अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना घ अनु0जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
19	श्री सुनील दण्डोतिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क मोहना	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र मोहना क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र ए.जे.के. द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
20	श्री अभिषेक गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र मुरार क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र घाटीगांव द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ख रिक्त/स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के दाण्डिक प्रकरणों में जमानत उन्मुक्त करने संबंधी विधिवत् कार्यवाही करना
21	श्री विनोद कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क हस्तिनापुर	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र हस्तिनापुर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र मोहना द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
22	कु0 ज्योति राजपूत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क महिला थाना	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र हस्तिनापुर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना ग अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
23	कु0 मंजुल दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरोन	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र आरोन क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र महिला थाना द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना

			घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
24	श्री सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क बिजौली	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र बिजौली क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र माधौगंज द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
25	श्री कौशलेन्द्र भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क तिघरा	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र तिघरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र बिजौली द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
26	श्री सुशील गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ग आरक्षी केन्द्र तिघरा द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना
27	श्री उपदेश राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र भंवरपुरा	क आरक्षी केन्द्र भंवरपुरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
28	श्री मुकेश रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क पुरानी छावनी	क आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ग आरक्षी केन्द्र भंवरपुरा द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना
29	श्रीमती शबनम क0 मंसूरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		क अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
30	श्री राजेन्द्र शाक्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क उटीला	क आरक्षी केन्द्र उटीला क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ग आरक्षी केन्द्र आरोन द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना
31	श्रीमती प्रीति साल्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		क अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ख आरक्षी केन्द्र इन्दरगंज क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि0 के प्रस्तुत परिवादपत्र ग. आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना

32	श्री गिर्राज गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	आरक्षी केन्द्र क घाटीगांव	क आरक्षी केन्द्र घाटीगांव क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवाद-पत्र ख अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ग आरक्षी केन्द्र उटीला द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना
33	कु० शिवानी धतरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		क अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना
34	श्री प्रदीप सोनी अति० न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील डबरा	आरक्षी केन्द्र क डबरा	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र डबरा क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधिनियम के प्रस्तुत परिवाद पत्र ग आरक्षी केन्द्र भितरवार,बेलगढा करहिया चीनौर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ड संपूर्ण डबरा तहसील से उत्पन्न म.प्र.आबकारी अधि० के प्रकरण च संपूर्ण डबरा तहसील से उदभूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि० के अंतर्गत प्रकरण छ संपूर्ण डबरा तहसील से उदभूत अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि०के अंतर्गत होने वाले एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं परिवाद-पत्र प्रकरण
35	श्री ठाकुर दास अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील डबरा	आरक्षी केन्द्र क गिजौरा ख पिछोर	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र गिजौरा, पिछोर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र डबरा द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना ड संपूर्ण डबरा तहसील से आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर) च संपूर्ण डबरा तहसील में उदभूत होने वाले स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है ।
36	श्री केशव सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील-डबरा		क ग्राम न्यायालय अधि० के अंतर्गत ग्राम न्यायालय डबरा क्षेत्राधिकार के दाण्डिक प्रकरण
37	श्री के.के. वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील-डबरा	आरक्षी केन्द्र क आंतरी	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र आंतरी क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र बिलौआ व पिछोर द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना एवं भिरतवार कैम्प न्यायालय की अवधि में अन्तरित होने वाले प्रकरणों का निराकरण

38	श्री आनंद गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील डबरा	आरक्षी केन्द्र क बिलौआ	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र बिलौआ क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग आरक्षी केन्द्र आंतरी एवं गिजौरा द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण करना घ अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना
39	श्री विकास चन्द्र मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील भितरवार	आरक्षी केन्द्र क भितरवार ख बैलगढा ग करहिया घ चीनौर	क समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां ख आरक्षी केन्द्र भितरवार बैलगढा करहिया चीनौर क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य संलेख अधि० के प्रस्तुत परिवादपत्र ग अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना घ संपूर्ण भितरवार तहसील से आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर) ङ संपूर्ण भितरवार तहसील से उदभूत खाद्य अपमिश्रण निवा० अधि० के अंतर्गत प्रकरण च संपूर्ण भितरवार तहसील से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधि० के सभी प्रकरण छ संपूर्ण भितरवार तहसील से उदभूत अनु० जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि० के अंतर्गत होने वाले एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं परिवादपत्र ज भितरवार तहसील में उदभूत होने वाले स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है

सामान्य आदेश

- 1 इस आदेश निर्वहन में किसी भ्रम से उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
- 2 वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा व उनकी अनुपस्थिति में अनुलग्न 'अ' में स्तंभ क्रमांक 1 में दर्शाये मजिस्ट्रेट द्वारा व स्तंभ क्रमांक 1 अनुपस्थिति में क्रमानुसार स्तंभ क्रमांक 2 एवं स्तंभ क्रमांक 3 में दर्शाये मजिस्ट्रेटों द्वारा उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा।

नोट— किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में क्रमांक 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।

- 4 रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन, सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता है।
- 5 ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित आना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।
- 6 आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारंट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाक् करने का अभिलेख (प्रकरण) लिये जाने हेतु आवेदन करे किन्तु ऐसे प्रकरण के अभिलेख पश्चात् में मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेख पर वापिस होगा।
- 7 ग्वालियर नगर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार की जावेगी।

- 8 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधि0, म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम एवं जुवेनाइल जस्टिस(केयर एण्ड प्रोटेक्शन) के मामलों में प्रथम रिमान्ड की कार्यवाही अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट व कार्य ड्यूटी के दौरान, जुवेनाइल जस्टिस को छोड़कर संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी ।
9. जुवेनाइल जस्टिस(केयर एण्ड प्रोटेक्शन) से संबंधित मामलों में कार्य ड्यूटी के दौरान प्रथम रिमांड कार्यवाही प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ग्वालियर के द्वारा ही की जावेगी ।
- 10 ग्वालियर नगर सीमा क्षेत्र में संदर्भित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे ।
- 11 जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा ।
- 12 आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा ।
- 13 संबंधित मजिस्ट्रेट अपने अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे ।

दिनांक : .01.2012

(संजय चतुर्वेदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर